

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्री अरविन्द कुमार, व्याख्याता गणित, राउमावि, भावली करौली जन्मतिथि 16.06.1966 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.01.1986 है।

श्री अरविन्द कुमार व्याख्याता गणित, राउमावि, भावली करौली द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) प्रावधानानुसार कार्मिक 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्र पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री अरविन्द कुमार व्याख्याता गणित, का प्रारूप 6 पृथक से जारी किया जायेगा।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगक/स्वै0सेनि/2012/123

दिनांक : 16-03-2021

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/शाला दर्पण/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर